

अनुमण्डल कार्यालय, सीतामढ़ी सदर (सीतामढ़ी)।

(आपूर्ति प्रशाखा)

सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली अंतर्गत उचित मूल्य दूकानों की अनुज्ञप्ति हेतु

ज्ञापांक:- 815 / आ0, दिनांक :- 01/07/2026/

:- आम सूचना :-

सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प- 963 दिनांक- 20.01.2016 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या- 2342 दिनांक-15.02.2016 विभागीय अधिसूचना दिनांक- 10.03.2016 एवं सरकार के अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1222/खाद्य, दिनांक-08.03.2017 तथा सरकार के विशेष सचिव, पत्रांक- प्र0-07-ज0 वि0 प्र0 (अनुज्ञप्ति)-05/2025 2154, खाद्य पटना/दिनांक-29.08.2025 के निदेश के आलोक में त्रुटि निराकरण के उपरांत जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा अनुमोदित रोस्टर के अनुसार सीतामढ़ी सदर अनुमंडल अंतर्गत सभी प्रखंडों का पंचायतवार रिक्ति का प्रकाशन के लिए कोटिवार विवरणी निम्नांकित है :-

क्रमांक	पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	रोस्टर बिन्दु	अनुमोदित रोस्टर के अनुसार आरक्षण कोटि
1	2	3	4	5
प्रखंड- बैरगनियाँ				
1	मुसाचक	मसहा नरोत्तम	1037	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
2	नंदवारा	नंदवारा, वार्ड सं0-07	1038	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
3	नंदवारा	नंदवारा, वार्ड सं0-10	1039	गैर आरक्षित
4	नंदवारा	नंदवारा, वार्ड सं0-13	1040	अनुसूचित जन जाति
5	बेलगंज	बेल गोट, वार्ड सं0-07	1041	गैर आरक्षित
6	बेलगंज	जोरियाही, वार्ड पुनर्वास वार्ड सं0-10,11,12	1042	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
7	जमुआ	पैक्स गोदाम के पास, वार्ड सं0-07	1043	गैर आरक्षित
8	जमुआ	गोवाही गाछी/बेलारदे	1044	गैर आरक्षित
9	पताही	मरपा कोठी	1045	गैर आरक्षित
10	अख्ता पश्चिमी (चकवा)	सतपुरवा	1046	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
11	अख्ता पश्चिमी (चकवा)	चकवा पूर्णवास	1047	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
12	अख्ता पश्चिमी (चकवा)	तकिया टोला	1048	अनुसूचित जन जाति
13	परसौनी	परसौनी	1049	गैर आरक्षित
14	परसौनी	जोडियाही	1050	अत्यंत पिछड़ा वर्ग

प्रखंड- सुप्पी				
15	बभनगामा रामनगरा	गम्हरीया वार्ड-05	1051	गैर आरक्षित
16	बभनगामा रामनगरा	राजपुर वार्ड-10, 11	1052	पिछड़ा वर्ग की महिला (W.B.C)
17	बभनगामा रामनगरा	सुप्पी वार्ड-12,13	1053	गैर आरक्षित
18	अख्ता पूर्वी	अख्ता वार्ड-11	1054	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
19	ससौला	हॉस्पिटल चौक	1055	गैर आरक्षित
20	मोहनी मंडल	रमना टोला	1056	अनुसूचित जन जाति
21	मोहनी मंडल	मोहनी मंडल वार्ड-5,6	1057	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
22	घरवाड़ा	अम्बा	1058	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
23	घरवाड़ा	नरकटिया	1059	गैर आरक्षित
24	नरहाँ	नरहाँ वार्ड-01	1060	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
25	नरहाँ	नरहाँ वार्ड-02	1061	गैर आरक्षित
26	हरपुर पिपरा	नन्हकार सिमरदह	1062	अनुसूचित जन जाति
प्रखंड- मेजरगंज				
27	पचहरवा	भलोहियां वार्ड नं0-12	1063	गैर आरक्षित
28	पचहरवा	पचहरवा वार्ड-9	1064	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
29	बहेरा	सिजुआ वार्ड नं0-05	1065	गैर आरक्षित
30	खैरवा	विश्वनाथपुर वार्ड नं0-13	1066	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
31	डुमरी कला	डुमरी पछरिया टोला वार्ड नं0-11	1067	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
32	कुआरी मदन	अखरडिहा वार्ड नं0-10	1068	अनुसूचित जन जाति
प्रखंड- सोनबरसा				
33	बगहा	पिपरा	1069	गैर आरक्षित
34	बगहा	मुरहा छतौना	1070	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
35	बगहा	बगहा वार्ड नं0 -12	1071	गैर आरक्षित
36	मड़पा	मड़पा वार्ड नं0 - 3	1072	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
37	मड़पा	बरियारपुर	1073	गैर आरक्षित
38	भलुआहा	रामनगरा	1074	अनुसूचित जन जाति
39	धुरधुरा हनुमान नगर	धुरधुरा वार्ड नं0- 1, 2	1075	गैर आरक्षित

40	धुरधुरा हनुमान नगर	धुरधुरा वार्ड नं०- 3, 4	1076	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
41	धुरधुरा हनुमान नगर	हनुमान नगर वार्ड नं०-6	1077	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
42	धुरधुरा हनुमान नगर	हनुमान नगर वार्ड नं०-8	1078	अनुसूचित जन जाति
43	कन्हौली	कन्हौली वार्ड नं० -4	1079	गैर आरक्षित
44	कन्हौली	लक्ष्मीया टोला	1080	पिछड़ा वर्ग की महिला (W.B.C)
45	विशनपुर गोनाही	सुपैना वार्ड नं० - 13, 14	1081	गैर आरक्षित
46	विशनपुर गोनाही	परसा महिन्द्र वार्ड नं० - 8, 9, 10	1082	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
47	मढ़िया	बनरझुला	1083	गैर आरक्षित
48	पुरन्दाहा राजवाड़ा पश्चिम	चिलरा वार्ड नं० - 3	1084	पिछड़ा वर्ग की महिला (W.B.C)
49	पुरन्दाहा राजवाड़ा पश्चिम	चिलरा वार्ड नं० - 10	1085	गैर आरक्षित
50	जयनगर	कोहवरवा वार्ड नं० - 4	1086	अनुसूचित जन जाति
51	जयनगर	कोहवरवा वार्ड नं० - 6	1087	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
52	जयनगर	जयनगर वार्ड नं० - 7	1088	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
53	इन्दरवा	सहोरवा	1089	गैर आरक्षित
54	इन्दरवा	इन्दरवा वार्ड नं० -12	1090	पिछड़ा वर्ग की महिला (W.B.C)
प्रखंड- परिहार				
55	बाया	फुलहट्टा	1091	गैर आरक्षित
56	बाया	वार्ड संख्या- 11, 12, 13	1092	अनुसूचित जन जाति
57	नरंगा दक्षिणी	लक्ष्मीपुर, वार्ड- 01,02	1093	गैर आरक्षित
58	महादेवपट्टी	भवानीपुर वार्ड संख्या- 1, 2	1094	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
59	महादेवपट्टी	बेला खाप वार्ड संख्या- 14, 15	1095	गैर आरक्षित
60	परसा	वार्ड संख्या- (1 से 6)	1096	पिछड़ा वर्ग की महिला (W.B.C)
61	परसा	वार्ड संख्या- (10, 11)	1097	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
62	भेड़रहिया	भेड़रहिया वार्ड संख्या- 1, 2	1098	अनुसूचित जन जाति

63	भेड़रहिया	भेड़रहिया वार्ड संख्या- 3, 4	1099	गैर आरक्षित
64	विष्णुपुर	भारसर	1100	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
65	बेला मच्छपकौनी	वार्ड संख्या- 01, 02	1101	गैर आरक्षित
66	बेला मच्छपकौनी	वार्ड संख्या- 06, 07	1102	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
67	बेला मच्छपकौनी	वार्ड संख्या- 10, 11	1103	गैर आरक्षित
68	बेला मच्छपकौनी	वार्ड संख्या- 15, 16	1104	गैर आरक्षित
69	मनपौर	वार्ड संख्या- 10, 11	1105	गैर आरक्षित
70	परिहार दक्षिणी	वार्ड संख्या- 14	1106	पिछड़ा वर्ग की महिला (W.B.C)
71	धरहरवा सहजौली	वार्ड संख्या- 6	1107	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
72	धरहरवा सहजौली	वार्ड संख्या- 7, 8	1108	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
73	धरहरवा सहजौली	वार्ड संख्या- 9, 10	1109	गैर आरक्षित
74	कोईरिया पिपरा	वार्ड संख्या- 2, 3	1110	गैर आरक्षित
75	कोईरिया पिपरा	वार्ड संख्या- 4, 5	1111	गैर आरक्षित
76	कोईरिया पिपरा	सिसौटिया	1112	पिछड़ा वर्ग की महिला (W.B.C)
77	मानिकपुर मुशहरनिया	खाप खोपरहिया	1113	गैर आरक्षित
78	सुतिहारा	वार्ड संख्या- 6, 7	1114	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
79	सुतिहारा	वार्ड संख्या- 9, 10	1115	गैर आरक्षित
80	पिपरा विशनपुर	वार्ड संख्या- 03, 04	1116	गैर आरक्षित
81	पिपरा विशनपुर	वार्ड संख्या- 08,09	1117	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
प्रखंड- बथनाहा				
82	शाहपुर शीतलपटी	दिहठी वार्ड नं0-05,06	1118	पिछड़ा वर्ग की महिला (W.B.C)
83	शाहपुर शीतलपटी	बदूरी	1119	अनुसूचित जन जाति
84	मटियार कला	मटियार कला दक्षिणी टोल वार्ड 05, 06	1120	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
85	डायन छपरा	बलुआ डेरा	1121	गैर आरक्षित
86	डायन छपरा	डायन छपरा वार्ड नं0-01, 02	1122	पिछड़ा वर्ग की महिला (W.B.C)
87	सिंगरहिया	हरकेश	1123	गैर आरक्षित
88	सिंगरहिया	हाजीपुर	1124	गैर आरक्षित
89	सिंगरहिया	बघमरी	1125	गैर आरक्षित
90	बखरी	मधुबनी गोट	1126	अत्यंत पिछड़ा वर्ग

91	बखरी	टेढ़िया	1127	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
92	हरनहिया	धुमनगर	1128	गैर आरक्षित
93	हरनहिया	झलसी	1129	गैर आरक्षित
94	दिग्धी	जगनपट्टी	1130	गैर आरक्षित
95	दिग्धी	दिग्धी वार्ड नं0-03, 04	1131	गैर आरक्षित
96	नरहा	नरहा वार्ड नं0-10, 11	1132	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
97	तुरकौलिया	तुरकौलिया वार्ड नं0-08,11	1133	गैर आरक्षित
98	मझौलिया	मझौलिया वार्ड नं0- 07, 08	1134	गैर आरक्षित
99	मझौलिया	योगवाना वार्ड नं0- 03	1135	गैर आरक्षित
100	कमलदह	वार्ड नं0- 10	1136	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
101	कमलदह	विशुनपुर वार्ड नं0- 12	1137	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
102	पंडौल उर्फ पंथपाकर	दोस्तपुर	1138	गैर आरक्षित
103	बथनाहा पश्चिमी	लक्ष्मीपुर वार्ड नं0-02, 03	1139	गैर आरक्षित
104	बथनाहा पूर्वी0	चकवा वार्ड नं0- 09, 10	1140	गैर आरक्षित
105	रूपौली रूपहरा	कोईली	1141	गैर आरक्षित
106	हरपुर भलहा	भलही वार्ड नं0-11, 12	1142	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
107	हरपुर भलहा	हरपुर भलहा वार्ड नं0- 09, 10	1143	गैर आरक्षित
108	हरपुर भलहा	गोढ़िया वार्ड नं0-01, 02	1144	गैर आरक्षित
प्रखंड- रीगा				
109	बुलाकीपुर	बुधुवारा, वार्ड नं0-14 एवं 15	1145	गैर आरक्षित
110	गणेशपुर बभनगामा	गणेशपुर, वार्ड- 09, 11	1146	गैर आरक्षित
111	सहबाजपुर	बराही, वार्ड-04 एवं 06	1147	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
112	अन्हारी	माड़र, वार्ड-01 एवं 02	1148	गैर आरक्षित
113	रीगा द्वितीय	रीगा, वार्ड-18 एवं 19	1149	गैर आरक्षित
114	पकड़ी मठवा	पकड़ी , वार्ड- 10 एवं 11	1150	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
115	रेवासी	रेवासी, वार्ड- 09 एवं 10	1151	गैर आरक्षित
116	रेवासी	रेवासी, वार्ड- 11 एवं 12	1152	पिछड़ा वर्ग की महिला (W.B.C)
117	भगवानपुर	भवानीपुर, वार्ड- 15,17 एवं 18	1153	गैर आरक्षित
118	भगवानपुर	सिमरी, वार्ड- 05 एवं 08	1154	अत्यंत पिछड़ा वर्ग

प्रखंड- डुमरा				
119	रंजितपुर पूर्वी	रंजीतपुर वार्ड नं0-08	1155	गैर आरक्षित
120	खैरवा	गोविन्द फन्दह	1156	गैर आरक्षित
121	खैरवा	खैरवा गोट	1157	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
122	पुनौरा पश्चिमी	मुरियारी / मुशहर टोला	1158	गैर आरक्षित
123	हरि छपरा	भवप्रसाद मांझी टोला वार्ड नं0-06	1159	गैर आरक्षित
124	हरि छपरा	हरिछपरा दक्षिण भाग वार्ड नं0-13	1160	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
125	मधुबन	मधुबन वार्ड नं0-05	1161	गैर आरक्षित
126	चक राजोपट्टी	रामपदार्थ चकमहिला	1162	गैर आरक्षित
127	चक राजोपट्टी	चकमहिला पासवान टोला	1163	गैर आरक्षित
128	मेहसौल पश्चिमी	कुष्ठ कलोनी जानकी नगर	1164	गैर आरक्षित
129	मेहसौल गोट	मेहसौल टोला सुन्दर नगर एवं मंगुराहा	1165	गैर आरक्षित
130	मेहसौल गोट	मेहसौल टोला हुसैना	1166	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
131	भूपभैरो	भूप भैरो खाप टोला	1167	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
132	भूपभैरो	भैरो कोठी मुस्लीम टोला	1168	गैर आरक्षित
133	भासर मच्छहाँ उ0	भासर मच्छहाँ वार्ड नं0-09	1169	गैर आरक्षित
134	भासर मच्छहाँ उ0	भासर मच्छहाँ वार्ड नं0-12	1170	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
135	माधोपुर रौशन	परसौनी वार्ड नं0-11	1171	गैर आरक्षित
136	माधोपुर रौशन	धरमपुर वार्ड नं0-14	1172	गैर आरक्षित
137	परोहा	परोहा वार्ड नं0-12	1173	गैर आरक्षित
138	मुरादपुर	चक्का वार्ड नं0-8	1174	गैर आरक्षित
139	मुरादपुर	बाजितपुर वार्ड नं0-14	1175	गैर आरक्षित
140	मिर्जापुर	मिर्जापुर वार्ड नं0-15	1176	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
141	मेथौरा	धनुषी वार्ड नं0-01	1177	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
142	लगमा	बलुआ वार्ड नं0-02	1178	गैर आरक्षित
143	भासर मच्छहाँ द0	भासर मच्छहाँ वार्ड नं0-01	1179	गैर आरक्षित
144	भासर मच्छहाँ द0	भासर मच्छहाँ वार्ड नं0-06	1180	गैर आरक्षित
145	मिसरौलिया	मिसरौलिया वार्ड नं0-07	1181	गैर आरक्षित
146	कुम्हरा विशनपुर	हरिहरपुर वार्ड नं0-17	1182	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
प्रखंड- रून्नीसैदपुर				
147	प्रेमनगर	प्रेमनगर गोट	1183	गैर आरक्षित
148	धनुषी	टकौर	1184	पिछड़ा वर्ग की महिला (W.B.C)
149	धनुषी	खोपी एराजी	1185	गैर आरक्षित

150	धनुषी	खोपी निस्प	1186	गैर आरक्षित
151	बहिलवारा उर्फ गाढा	वार्ड नंबर- 08 से 09	1187	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
152	मानिक चौक (पश्चिमी)	वार्ड नंबर- 07 से 08	1188	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
153	मानिक चौक (पश्चिमी)	ठिकहा	1189	गैर आरक्षित
154	मानिक चौक (उतरी)	हरसिंगपुर	1190	गैर आरक्षित
155	बघाड़ी	भरेहवा	1191	गैर आरक्षित
156	बेलाही नीलकंठ	माधोपुर सारनाथ	1192	गैर आरक्षित
157	महिसार	महिसार	1193	गैर आरक्षित
158	अथरी	वार्ड नंबर- 05	1194	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
159	रैन विशुनी	वार्ड नंबर- 01 से 02	1195	गैर आरक्षित
160	रैन विशुनी	वार्ड नंबर- 06	1196	गैर आरक्षित
161	मोरसंड	गोरगामा	1197	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
162	मोरसंड	पोखरपुर	1198	गैर आरक्षित
163	देवना बुजुर्ग	ठाहर	1199	गैर आरक्षित
164	रुन्नीसैदपुर (मध्य)	वार्ड नंबर- 03 से 04	1200	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
165	रुन्नीसैदपुर (मध्य)	वार्ड नंबर- 05 से 06	1201	गैर आरक्षित
166	रुन्नीसैदपुर (मध्य)	वार्ड नंबर- 07	1202	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
167	खड़का	सोनपुरवा	1203	गैर आरक्षित
168	तिलकताजपुर	वार्ड नंबर- 14 से 15	1204	गैर आरक्षित
169	मधौलशानी	रूपौली टोले रत्नाकर	1205	गैर आरक्षित
170	रुन्नीसैदपुर (दक्षिणी)	शिवनगर	1206	गैर आरक्षित
171	रुन्नीसैदपुर (दक्षिणी)	भनसपट्टी	1207	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
172	महेशा फड़कपुर	वार्ड नंबर- 09	1208	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
173	महेशा फड़कपुर	वासुदेव लड़कनियाँ	1209	गैर आरक्षित
174	बरहेता	वार्ड नंबर- 15	1210	गैर आरक्षित
175	गिद्धाफुलवरिया	कुण्डल	1211	गैर आरक्षित
176	महिन्दवारा	सुगरीडीह	1212	गैर आरक्षित
177	ओलिपुर सरहचिया	चक्की टोला	1213	गैर आरक्षित
178	गुरुर्दह उर्फ गौसनगर	वार्ड नंबर- 07 से 08	1214	अत्यंत पिछड़ा वर्ग

- अनुमान्य कराये गये पदों में विभागीय संकल्प सं०- 962 दिनांक- 22.01.2021 द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के आलोक में दिव्यांगता से ग्रस्त उम्मीदवारों के क्षैतिज आरक्षण के तहत 07 (सात) नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण देय होगा जो निम्नांकित है :-

रोस्टर बिन्दू	अंध और निम्न दृष्टि दिव्यांगता को	बधिर और श्रवण शक्ति में हास दिव्यांगता को	चलंत दिव्यांगता जिसके अन्तर्गत प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कृष्ट, बौनापन, तेजाब आग्रमण से पीड़ित और पेशीय दुष्पोषण को	स्वपरायणता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक रूग्णता/संकल्प संख्या- 962, दिनांक- 22.01. 2021 की कडिका - (8) के खण्ड- (क) से खण्ड- (घ) के अधीन बहुदिव्यांगता को	कुल
1	2	3	4	5	6
1037-1050	-	1	-	-	1
1051-1075	-	-	1	-	1
1076-1100	-	-	-	1	1
1101-1125	1	-	-	-	1
1125-1150	-	1	-	-	1
1151-1175	-	-	1	-	1
1176-1214	-	-	-	1	1
कुल :-	1	2	2	2	7

- विभागीय परिपत्र संख्या-2526 दिनांक-18.02.2016 के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी को रोस्टर बिन्दु 1037-1214 तक 03 (तीन) पद क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमान्य होगा।
- सामान्य प्रशासन विभाग बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या- 4319 दिनांक- 02.03.2023 में अंकित प्रावधानानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति में मूल कोटि में 10 प्रतिशत पद नियमानुसार देय होगा।
- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के पत्र सं०-2342 दिनांक-15.02.2026 के प्रावधानानुसार सभी आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

नोट :- अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर के पास बिना कोई पूर्व सूचना दिये प्रकाशित विज्ञापन को किसी भी समय निरस्त/रद्द/संशोधन करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

इस प्रकार कुल- 178 बिहार लक्षित जन वितरण प्रणाली, दुकानों की रिक्ति हेतु आवेदन विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जाते हैं जिसकी अर्हता निम्नवत है :-

- व्यक्ति विशेष से विहित प्रपत्र अनुसूची-1 में तथा स्वयं सहायता समूह, महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियों के लिए अनुसूची-02 में आवेदन पत्र अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर के कार्यालय में दिनांक- 08.07.2026 से 31.07.2026 के संध्या 5.00 बजे तक सिर्फ निबंधित डाक के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। मूल आवेदन को सभी प्रमाण पत्रों/कागजातों सहित निबंधित डाक से अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर के यहाँ भेजेंगे।
- अनुज्ञप्ति निर्गत करने में निम्न प्रकार से प्राथमिकता दी जायेगी। (i) स्वयं सहायता समूह (ii) महिलाओं की सहयोग समितियाँ (iii) पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियों (iv) शिक्षित बेरोजगार (v) संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासी।
- अनारक्षित रिक्तियों के विरुद्ध सभी वर्ग के आवेदक आवेदन दे सकेंगे एवं चयन पूर्णरूपेण मेधा के आधार पर होगा और उनकी स्थिति अनारक्षित होगी।

4. पिछड़े वर्गों की महिलाओं में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की महिलाएँ शामिल मानी जायेगी।
5. उचित मूल्य की दुकान के स्वामी को उचित मूल्य की दुकान को उसके पोषण क्षेत्र में रखना होगा एवं विशेष परिस्थिति में जिला पदाधिकारी की पूर्वानुमति से अपवाद स्वरूप पोषण क्षेत्र से बाहर लाभुकों की सुविधा को ध्यान में रखकर उचित मूल्य की दुकान की स्वीकृति दी जा सकेगी।
6. यदि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित उचित मूल्य की दुकान के लिए अनुसूचित जन जाति का कोई सुयोग्य आवेदक नहीं हो, तो इसे अनुसूचित जाति के आवेदक से भरा जायेगा और यदि अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित उचित मूल्य की दुकान के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का कोई सुयोग्य आवेदक नहीं हो, तो इसे पिछड़े वर्ग के आवेदक एवं तदनुसार इसके विपरीत क्रम (Vice Versa) द्वारा भरा जायेगा।
7. उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक मैट्रिक पास और उम्र दिनांक- 30.06.2026 को आवेदक की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होगा, परन्तु कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी। कम्प्यूटर ज्ञान कि समानता होने पर अधिक योग्य को और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।
8. महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहकारी समितियाँ एवं स्वयं सहायता समूहों के नाम से उचित मूल्य दुकान कि अनुज्ञप्ति निर्गत की जायेगी तथा इनका संचालन इनकी प्रबंध समिति द्वारा किया जाएगा।
9. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0-962 दिनांक-22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगजनों को 04% क्षैतिज आरक्षण, पत्रांक- 2526 दिनांक- 18.02.2016 के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पौत्र/पौत्री/नाती/नातिन को 02% क्षैतिज आरक्षण एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या- 4319 दिनांक- 02.03.2023 में अंकित प्रावधानानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति में मूल कोटि में 10 प्रतिशत पद नियमानुसार देय होगा।
10. उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्ति की निर्हताएँ :-
 - (i) एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मूल्य कि दुकान आवंटित नहीं की जायेगी। पिता, माता, भाई, भाई की पत्नी(भाभी), पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू और सौतेला भाई परिवार की परिभाषा में आयेंगे।
 - (ii) मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल तक उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निरर्हित (disqualified) रहेंगे।
 - (iii) आटा चक्की के मालिक एवं उसके निकटतम संबंधियों को उचित मूल्य कि दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।
 - (iv) अवयस्क या पागल या दिवालिया को उचित मूल्य कि दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।
 - (v) आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम,10) के अधीन अथवा अन्य किसी आपराधिक मामलों में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्धदोष व्यक्ति को उचित मूल्य कि दुकान की अनुज्ञप्ति आवंटित नहीं की जायेगी।
 - (vi) सरकार में लाभ का पद धारण करने वाले को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।
11. विज्ञापन प्रकाशन के पूर्व अनुज्ञप्ति हेतु दिये गये आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
12. जन वितरण प्रणाली विक्रेता से संबंधित माननीय न्यायालय में लंबित मामलों में पारित अंतिम आदेश के आलोक में रिक्ति एवं कोटि में परिवर्तन हो सकता है, जिसके आलोक में चयन समिति को आवेदन अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
13. प्रखंडवार/पंचायतवार/वार्डवार जन वितरण प्रणाली के दुकानों की आरक्षणवार रिक्तियाँ जिला आपूर्ति कार्यालय, सीतामढ़ी एवं अनुमंडल कार्यालय, सीतामढ़ी सदर के सूचनापट्ट पर तथा सीतामढ़ी जिले के बेवसाइट sitamarhi.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

14. (i) अनुज्ञापन पदाधिकारी प्राप्त आवेदनों को जाँचोपरान्त रिक्तिवार मेधा क्रमांक प्रदर्शित करते हुए अपनी अनुशंसा के साथ औपबंधिक मेधा सूची जिला आपूर्ति पदाधिकारी के माध्यम से जिला स्तरीय चयन समिति को भेजेंगे।
- (ii) तत्पश्चात् जिला स्तरीय चयन समिति की अनुमति से औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय सूचना पट्ट पर करते हुए प्रकाशन की तिथि से 10 दिनों के भीतर अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर के समक्ष साक्ष्य के साथ दावा/आपत्तियों को समर्पित करने का अवसर असंतुष्ट आवेदकों को दिया जायेगा।
- (iii) अंतिम मेधा सूची के प्रकाशन में सन्निहित अनुशंसा के विरुद्ध कोई असंतुष्ट आवेदक स्पष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए साक्ष्यों के साथ 15 दिनों के भीतर प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष परिवाद दायर कर सकेंगे।
- (iv) वैसे सभी मामलों में जिसमें निर्धारित अवधि के भीतर अंतिम मेधा सूची के विरुद्ध प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष कोई परिवाद दायर नहीं किया गया हो, अनुज्ञापन पदाधिकारी विहित प्रक्रिया से अनुज्ञप्ति निर्गत करेंगे। किन्तु जिन मामलों में प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष परिवाद दायर किया गया हो, वैसे मामलों में प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा आदेश पारित होने के बाद उक्त आदेश के आलोक में अनुज्ञप्ति निर्गत की जाएगी।
- (vi) जिला स्तरीय चयन समिति के निर्णय के विरुद्ध प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा।

नोट :-


- आवेदन पत्र के साथ अपना रंगीन पासपोर्ट साइज स्व-हस्ताक्षरित फोटो (हाल ही का खींचा हुआ) पाँच प्रति में संलग्न करना होगा तथा एक स्व-अभिप्रमाणित फोटो आवेदन पत्र पर दाये कोने में चिन्हित स्थान पर चिपकाना होगा।
- आवेदक को अपना मोबाईल संख्या आवेदन पत्र में हस्ताक्षर के लिए निर्धारित स्थान के ठीक नीचे अंकित करना होगा।
- आवेदक को आवेदन पत्र में सबसे उपर बायीं तरफ रोस्टर बिन्दु, पंचायत/वार्ड संख्या एवं आरक्षण श्रेणी अंकित करना होगा, जिस पंचायत/वार्ड एवं आरक्षण श्रेणी के लिए आवेदन कर रहे हैं।
- शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
- आरक्षित श्रेणी के आवेदक को अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
- संबंधित पंचायत/वार्ड का निवासी होने के लाभ लेने के लिए अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत आवास प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
- आचरण प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण पत्र, पारिवारिक सूची एवं अनियोजन प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
- व्यापार स्थल के संबंध में अगर किराया का है तो किराया के एकरारनामा की सत्यापित प्रति एवं व्यापार स्थल अपना रहने के स्थिति में जमीन का कागजात संलग्न किया जाना है।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या- 2622 दिनांक-26.02.2019 में संलग्न अनुसूची में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आय एवं परिसम्पति प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे।
- आवेदक इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करेंगे कि :-
 - (i) आवेदक मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद् के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य नहीं होने संबंधी शपथ पत्र।
 - (ii) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अधीन अथवा अन्य किसी आपराधिक मामलों में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है से संबंधी शपथ पत्र।

(iii) आवेदक या उनके निकटतम संबंधियों के पास आटा चक्की नहीं है, से संबंधी शपथ पत्र देना होगा।

(iv) आवेदक अवयस्क या पागल या दिवालिया नहीं है से संबंधी शपथ पत्र।

- एक से अधिक पंचायत/वार्ड के लिए आवेदन करने पर आवेदक का सभी आवेदन-पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।
- लिफाफे के उपर निम्नांकित विवरण अंकित किया जाना आवश्यक है :-
 - ❖ उचित मूल्य की दूकान (जन वितरण प्रणाली विक्रेता) की नई अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन-
 - ❖ विज्ञापन संख्या -
 - ❖ रोस्टर बिन्दु-
 - ❖ पंचायत एवं प्रखंड का नाम-
 - ❖ आरक्षित श्रेणी जिसके लिए आवेदन समर्पित किया जा रहा है-
- आवेदक इस आशय का स्व-घोषणा देंगे कि उनके द्वारा आवेदन में प्रविष्ट की गई सभी सूचना सही है तथा गलत सूचना पाये जाने पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- आवेदन पत्र के अनुसूची- 01 एवं अनुसूची- 02 का प्रपत्र जिले के बेवसाईट <https://sitamarhi.nic.in> से डाउनलोड किया जा सकता है।




अनुमण्डल पदाधिकारी,
सीतामढ़ी सदर।

बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के अधीन उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन पत्र (व्यक्तियों के लिए)

अनुज्ञापन प्राधिकारी का पदनाम
एवं कार्यालय का पता

1. आवेदक की विशिष्टियाँ -

- (क) नाम
(ख) पिता/पति का नाम
(ग) शैक्षणिक योग्यता
(घ) उम्र
(ङ) स्थायी तथा वर्तमान पता
(फोन नं./ मोबाईल नं./ ई-मेल पता के साथ)
(च) कम्प्यूटर ज्ञान

आवेदक का
अभिप्रेमाणित
फोटो

2. उचित मूल्य की दुकान का विवरण जिसके लिये अनुज्ञप्ति अपेक्षित है :-

व्यवसाय स्थल का विवरण

- (क) मकान / दुकान संख्या :
(ख) होल्डिंग नं० :
(ग) क्षेत्रफल :
(घ) खाता नं०..... खेसरा नं० :
(ङ) चौहद्दी :
(च) मुहल्ला / वार्ड नं० :
(छ) ग्राम / शहर :
(ज) थाना :
(झ) जिला

3. आरक्षण का दावा हो, तो आरक्षण वर्ग का उल्लेख करें और जाति प्रमाणपत्र संलग्न करें
4. व्यवसाय स्थल अपना है या किराया का ? अगर किराया का है तो किराया के इकरारनामा की सत्यापित प्रति संलग्न करें।
5. यदि आवेदक के पास पूर्व से अन्य किसी कारोबार की अनुज्ञप्ति है, तो विवरण दें
6. क्या आवेदक को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अधीन जारी किए गए किसी आदेश के उल्लंघन के कारण अथवा अन्य किसी आपराधिक मामले में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया है ?
7. क्या आवेदक को किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित या सिद्धदोष ठहराया गया है ?
8. क्या आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित है ?
9. क्या आवेदक सरकारी लाभ के किसी पद पर पदस्थापित हैं ? यदि हों तो विस्तृत विवरण दें ।
10. क्या आवेदक सरकारी नौकरी में है ? यदि हों तो विस्तृत विवरण दें ।
11. क्या आवेदक के पास आटा-चक्की है ?
12. क्या आवेदक किसी आटा-चक्की मालिक का निकट रिश्तेदार है ?
13. क्या आवेदक मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति का सदस्य, जिला परिषद का सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकाय का निर्वाचित सदस्य है ?
मैं एतद्वारा घोषण करता हूँ कि उपर्युक्त वर्णित विशिष्टियाँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास में सही हैं एवं उनमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है । भविष्य में यदि ये असत्य पाये जाते हैं तो मैं कानूनी कार्रवाई का भागी होऊँगा ।
" बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016" के प्रावधानों को मैंने सावधानीपूर्वक पढ़/समझ लिया है तथा मैं उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ ।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक का हस्ताक्षर

अनुसूची - 2

बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के अधीन उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन पत्र (स्वयं सहायता समूह, महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ के लिए)

अनुज्ञापन प्राधिकारी का पदनाम
एवं कार्यालय का पता

आवेदक का
अभिप्रमाणित
फोटो

1. महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ/स्वयं सहायता समूह की विशिष्टियाँ
 - (क) नाम एवं प्रकार :
 - (ख) निबंधन संख्या एवं वर्ष :
(स्वयं सहायता समूह के लिए गठन का वर्ष वर्तमान ग्रेडिंग के साथ)
 - (ग) कार्यालय का पता :
 - (घ) मुख्य पेशा एवं कार्यक्षेत्र :
 - (ङ) प्रबंध समिति के अध्यक्ष/प्रधान एवं सदस्यों का विवरण :
(निर्वाचन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)
 - (च) अधिक्रमित होने की स्थिति में नियुक्त प्रशासक का नाम एवं पदनाम का उल्लेख करें:
2. उचित मूल्य की दुकान का विवरण जिसके लिये अनुज्ञप्ति अपेक्षित है :-
3. महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ/स्वयं सहायता समूह की प्रबंध समिति के द्वारा आवेदन करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति से सम्बन्धित सूचनाएँ :-
 - (क) नाम :
 - (ख) पिता/पति का नाम :
 - (ग) स्थायी पता :
 - (घ) पत्राचार का पता :
 - (ङ) फोन नं०/मोबाईल नं०/ ई-मेल पता :
4. आरक्षण का दावा हो, तो आरक्षण वर्ग का उल्लेख करें एवं प्रबंध समिति के प्रधान सहित सभी सदस्यों की जाति का प्रमाण पत्र संलग्न करें
5. व्यवसाय स्थल का विवरण :-
 - (क) मकान / दुकान संख्या :
 - (ख) होल्डिंग नं० :
 - (ग) क्षेत्रफल :
 - (घ) खाता नं०....., खेसरा नं० :
 - (ङ) चौहद्दी :
 - (च) मुहल्ला / वार्ड नं० :
 - (छ) ग्राम / शहर :
 - (ज) थाना :
 - (झ) जिला :
 - (ञ) गोदाम की भंडारण क्षमता :
6. दुकान या गोदाम का स्थल अपना है या किराया का ? अगर अपना है तो दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें और अगर किराया का है तो किराया के इकरारनामा की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।
7. यदि महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ या स्वयं सहायता समूह के पास पूर्व से अन्य किसी कारोबार की अनुज्ञप्ति है, तो इसका विवरण दें
8. महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ/स्वयं सहायता समूह के पास उपलब्ध चलती पूंजी का विवरण :-
(आवेदन की तिथि को बैंक खातों एवं उनमें उपलब्ध राशि का विवरण दें)
में एतद्द्वारा की तरफ से इसकी प्रबंध समिति की बैठक में दिनांक..... को पारित प्रस्ताव संख्या.....द्वारा अधिकृत किये जाने के आलोक में

घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित विशिष्टियाँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास में सही हैं एवं उनमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

मैं, यह भी घोषणा करता हूँ किकी प्रबंध समिति ने "बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016" के प्रावधानों को पढ़/समझ लिया है तथा वह उनका पालन करने के लिए सहमत है।

सहयोग समिति/स्वयं सहायता समूह के
प्रधान का प्रतिहस्ताक्षर
नाम
पदनाम
सहयोग समिति/स्वयं सहायता समूह
का नाम

आवेदन करने हेतु प्राधिकृत
व्यक्ति का हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
सहयोग समिति/स्वयं सहायता समूह
का नाम

अनसूची - 03

बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के अन्तर्गत
सहयोग समिति/स्वयं सहायता समूह के प्रावधानों को पढ़/समझ लिया है